

स्वीकृति-4/पोवर-57/2015 15/05/2015 स्वी. दिनांक- 15.05.2015

प्रेषक,

ए०के० रस्तोगी,
सरकार के विशेष सचिव ।

सेवा में,

महालेखाकार (ले० एवं ह०)
झारखण्ड, राँची ।

द्वारा:- आन्तरिक वित्तीय सलाहकार ।

विषय :- वित्तीय वर्ष 2015-16 में कार्यान्वित की जानेवाली केन्द्र प्रायोजित योजना (50:50) "नेशनल प्लान फॉर कंजर्वेशन ऑफ एक्वाटिक इको सिस्टम" के अन्तर्गत कुल 20.000 लाख (बीस लाख) रुपये मात्र का स्वीकृति के सम्बन्ध में ।

प्रसंग:- वित्त विभाग, झारखण्ड, राँची का पत्रांक-300 दिनांक-30.03.2015

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय एवं प्रसंग के संबंध में कहना है कि प्रसंगाधीन वित्त विभागीय पत्र के द्वारा वित्तीय वर्ष 2015-2016 में कार्यान्वित की जानेवाली केन्द्र प्रायोजित योजना "नेशनल प्लान फॉर कंजर्वेशन ऑफ एक्वाटिक इको सिस्टम" अंतर्गत कुल केन्द्रांश 23.330 लाख तथा राज्यांश में 10.000 लाख रुपये मात्र की राशि का बजट उपबंध संसूचित है ।

2. यह योजना केन्द्र-प्रायोजित योजना है, जिसमें पूर्व में केन्द्रांश एवं राज्यांश का अनुपात 70:30 के रूप में था, किन्तु संप्रति योजना एवं विकास विभाग से प्राप्त निदेश के आधार पर इस योजना हेतु केन्द्रांश एवं राज्यांश का अनुपात 50:50 के रूप में करते हुए योजना की स्वीकृति दी जा रही है ।

भारत सरकार द्वारा स्वीकृत कार्ययोजना एवं Funding Pattern में यदि कोई परिवर्तन होता है तो तदनुसार स्वीकृत्यादेश में संशोधन किया जा सकेगा ।

3. प्रधान मुख्य वन संरक्षक वन्य प्राणी संरक्षण एवं जैव विविधता झारखण्ड, राँची के कार्यालय पत्रांक-559 दिनांक-20.05.2015 द्वारा वित्तीय वर्ष 2015-16 के लिए भारत सरकार से कार्य योजना की स्वीकृति हेतु प्रस्ताव समर्पित किया गया है परंतु कार्य योजना की स्वीकृति अब तक भारत सरकार से अप्राप्त है ।

16/6

4. वित्तीय वर्ष 2015-16 में कार्यान्वित की जाने वाली केन्द्र प्रायोजित "नेशनल प्लान फॉर कंजर्वेशन ऑफ एक्वाटिक इको सिस्टम" अंतर्गत कुल 20.000 लाख (बीस लाख) रुपये मात्र की स्वीकृति पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार की स्वीकृति की प्रत्याशा में, इस शर्त के साथ प्रदान की जाती है कि योजना का कार्यान्वयन पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा स्वीकृत कार्य योजना एवं अधिरोपित सभी शर्तों के अनुरूप ही किया जायेगा।

5. उपर्युक्त स्वीकृत राशि के विरुद्ध लघुशीर्षवार/ इकाईवार राशि की विवरणी निम्नांकित है:-

राज्यांश				(राशि लाख में)
शीर्ष का नाम	इकाई	विपन्न कोड	बजटीय उपबंध	स्वीकृत राशि
मुख्य शीर्ष 2406-वानिकी और वन्य प्राणी, उप-मुख्य शीर्ष 01- वानिकी तथा वन्य जीव, लघु शीर्ष 110- भूतपूर्व जमींदारी, वन संपादकों के प्रबंधन पर व्यय, उप शीर्ष 41- नेशनल प्लान फॉर कंजर्वेशन ऑफ एक्वाटिक इको सिस्टम (केन्द्रांश-70 : राज्यांश-30)	मजदूरी	19P240601110410103	7.000	7.000
	आपूर्ति एवं सामग्री	19P240601110410323	3.000	3.000
कुल राशि- (दस लाख रुपये)			10.000	10.000

केन्द्रांश				(राशि लाख में)
शीर्ष का नाम	इकाई	विपन्न कोड	बजटीय उपबंध	स्वीकृत राशि
मुख्य शीर्ष 2406-वानिकी और वन्य प्राणी, उप-मुख्य शीर्ष 01- वानिकी तथा वन्य जीव, लघु शीर्ष 110- भूतपूर्व जमींदारी, वन संपादकों के प्रबंधन पर व्यय, उप शीर्ष 41- नेशनल प्लान फॉर कंजर्वेशन ऑफ एक्वाटिक इको सिस्टम (केन्द्रांश-70 : राज्यांश-30)	मजदूरी	19C240601110410103	16.330	7.000
	आपूर्ति एवं सामग्री	19C240601110410323	7.000	3.000
कुल राशि- (दस लाख रुपये)			23.330	10.000

6. केन्द्र प्रायोजित योजना "नेशनल प्लान फॉर कंजर्वेशन ऑफ एक्वाटिक इको सिस्टम" के संबंधित वन प्रमण्डल पदाधिकारी / उप वन संरक्षक, कार्य योजना तैयार कर दिनांक 20 जून 2015 तक क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक/ मुख्य वन संरक्षक को उपलब्ध करायेंगे, जिनके स्तर से उक्त कार्य योजना दिनांक 30 जून 2015 तक अपनी स्पष्ट अनुषंसा के साथ प्रधान मुख्य वन संरक्षक/अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक विकास को उपलब्ध करायी जाएगी।

प्रधान मुख्य वन संरक्षक, झारखण्ड के द्वारा विभिन्न वन प्रमंडलों में उपर्युक्त योजना के कार्यान्वयन हेतु प्राप्त प्रस्ताव पर प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करने के उपरान्त अनुमोदित करते हुए तत्संबंधी सूचना वन एवं पर्यावरण विभाग को उपलब्ध करायी जायेगी।

15/स्वी.
16.6.2015

7. उक्त स्वीकृत राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों द्वारा वन संरक्षक, विकास प्रमंडल, हजारीबाग होंगे तथा राशि की निकासी, संबंधित जिले के कोषागार/उप कोषागार से की जायेगी।

8. इस योजना के नियंत्री पदाधिकारी अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास होंगे। नियंत्री पदाधिकारी द्वारा योजनांतर्गत वित्तीय एवं भौतिक प्रगति से प्रत्येक माह वन एवं पर्यावरण विभाग को अवगत कराया जायेगा। निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों द्वारा योजना का सफल कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जायेगा। निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों के नियंत्रक पदाधिकारियों एवं संबंधित प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन्य प्राणी एवं मुख्य वन्य प्राणी प्रतिपालक/ मुख्य वन संरक्षक द्वारा योजना के कार्यान्वयन का सतत अनुश्रवण सुनिश्चित किया जायेगा।

9. वित्तीय वर्ष 2015-16 में इस योजनांतर्गत प्रस्तावित कार्य-योजना में प्रस्तावित योजनांतर्गत सामग्रियों आदि का क्रय एवं प्रोफेशनल सेवाओं की अभिप्राप्ति राज्य सरकार द्वारा निर्धारित नियमों और प्रक्रियाओं के अधीन किया जायेगा। इसके अतिरिक्त, यथा लागू जिन कार्य के स्थलों का विवरण/ EDCs की सूची पर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन्य प्राणी एवं मुख्य वन्य प्राणी प्रतिपालक, झारखण्ड के अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात् ही कार्यारंभ किया जायेगा। भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा योजना की स्वीकृति प्राप्त नहीं हुई है इसलिए योजना की स्वीकृति इस शर्त के साथ प्रदान की कृपा की जा सकती है कि भारत सरकार द्वारा स्वीकृत भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य तथा अधिरोपित शर्तों के अधीन कार्य का सम्पादन किया जायेगा।

10. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास द्वारा इस योजनांतर्गत राशि का उप-आवंटन स्वीकृत राशि के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2015-16 में उपबंधित राशि तक ही सीमित रखा जायेगा। साथ ही उपबंधित राशि के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा वास्तविक रूप से विमुक्त केन्द्रांश की राशि के समानुपातिक रूप से ही राज्यांश की राशि आवंटित की जायेगी।

11. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि किसी भी परिस्थिति में आवंटित राशि से अधिक की निकासी एवं व्यय नहीं किया जायेगा।

12. स्वीकृत राशि की निकासी वित्त विभागीय पत्रांक-2561, दिनांक-17.04.1998 एवं समय-समय पर निर्गत परिपत्रों के आलोक में अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास से उप आवंटन प्राप्त होने के उपरांत की जायेगी।

13. सभी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों द्वारा राशि की निकासी एवं व्यय कोषागार संहिता के नियम सं० 300 एवं वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत सुसंगत दिशा-निर्देशों के अनुरूप करना सुनिश्चित किया जायेगा। योजनाओं में सामग्री का क्रय वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत दिशा-निर्देश एवं वित्तीय नियमों तथा वन एवं पर्यावरण विभाग के संकल्प संख्या-940 दिनांक 16.03.1992 द्वारा क्षेत्रीय

15/स्वी.
10.6.2015

मुख्य वन संरक्षक/ मुख्य वन संरक्षक की अध्यक्षता में गठित क्रय समिति की अनुशंसाओं के अनुसार की जाएगी।

14. सभी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा योजना के अंतर्गत भारित व्यय उक्त योजना बजट शीर्ष में वित्तीय वर्ष 2015-16 में उपबंधित राशि के अंतर्गत सीमित रखना सुनिश्चित किया जायेगा।

15. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा योजना के अंतर्गत भारित व्यय को वित्तीय वर्ष 2015-16 में इस हेतु निर्धारित बजट शीर्ष में उपबंधित राशि के अंतर्गत आवंटित राशि तथा भारत सरकार द्वारा स्वीकृत वार्षिक कार्य योजना के कार्यान्वयन हेतु भारत सरकार द्वारा वास्तविक रूप से विमुक्त राशि के अंतर्गत सीमित रखना सुनिश्चित किया जायेगा।

16. इस योजनान्तर्गत वानिकी कार्यों का संपादन विभागीय अधिसूचना संख्या-2371 दिनांक-05.05.2015 में निरूपित प्रावधानों के तहत सक्षम प्राधिकार से अनुमोदित दर पर किया जायेगा।

17. मजदूरी का भुगतान श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग, झारखण्ड सरकार द्वारा निर्धारित दर के अनुरूप किया जायेगा। मजदूरी मद में स्वीकृत राशि का व्यय योजना के परिमाणकों के अंतर्गत एवं निर्धारित मजदूरी दर के अनुरूप वास्तविक व्यय तक सीमित रखना सुनिश्चित किया जायेगा।

18. योजनान्तर्गत किये जाने वाले ऐसे कार्य जिनकी दर विभागीय अधिसूचना संख्या 2371 दिनांक 05.05.2015 में निरूपित प्रावधानों के कार्य क्षेत्र से बाहर है, कि दर का निर्धारण योजना के नियंत्री पदाधिकारी द्वारा वित्त विभाग के द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुरूप किया जायेगा।

19. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि किसी भी परिस्थिति में उनके लिए निर्धारित वित्तीय एवं भौतिक लक्ष्यों का विचलन न हों।

20. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा Account Code Vol (III) की धारा 288 के अनुसार अपने कार्यालय का मासिक लेखा आगामी माह की 5वीं तारीख तक महालेखाकार कार्यालय में जमा करना सुनिश्चित किया जायेगा तथा लेखा का त्रैमासिक Reconciliation ससमय निश्चित रूप से कराना सुनिश्चित किया जायेगा।

21. इस योजना के अंतर्गत कार्यों का संपादन संयुक्त वन प्रबंधन समिति/ईको डेवलपमेंट समितियों के सहयोग से किया जायेगा।

22. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि इस योजना अंतर्गत मजदूरी मद में मजदूरों को भुगतान की जाने वाली राशि का भुगतान मजदूरों के बैंक खाते/डाक घर खाते के माध्यम से ही किया जायेगा।

114
16/6
15/स्वी०
16.6.2015

20. जिला एवं सीकराधिकार अधिकारी एवं जिला विकास अधिकारी को सूचना दे-
ना, विकास विभाग, जिला एवं सीकराधिकार के कार्यालय में प्रवेश करने पर अधिकारी
तथा आंतरिक वित्त मन्त्रालय की सहमति प्राप्त है।

विश्वासभाजन

(ए०के० रस्तोगी)

सरकार के विशेष सचिव।

ज्ञापांक -4/यो० बजट-57/2015 15/द्वी० व०प०/रांची, दिनांक- 16.6.2015

प्रतिलिपि : राज्यपाल सचिवालय, झारखंड, रांची/ विकास आयुक्त, झारखंड,
रांची/ योजना एवं विकास विभाग, झारखंड, रांची/ वित्त विभाग, झारखंड, रांची/ सूचना
एवं प्रावैधिकी विभाग, झारखंड, रांची/ प्रधान मुख्य वन संरक्षक, झारखंड, रांची/ प्रधान
मुख्य वन संरक्षक, वन्यप्राणी, झारखंड, रांची/ अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखंड, रांची/ संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी/ संबंधित कोषागार
पदाधिकारी/ आंतरिक वित्त कोषांग एवं विभागीय बजट शाखा (पांच प्रतियों में) को
सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(ए०के० रस्तोगी)

सरकार के विशेष सचिव।

ज्ञापांक-4/यो० बजट-57/2015 15/द्वी० व०प०/रांची, दिनांक- 16.6.2015

प्रतिलिपि :- संबंधित उपायुक्त/कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक
कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(ए०के० रस्तोगी)

सरकार के विशेष सचिव।